न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 1151-I/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 1—2—2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त 71/अपील/2010—11 ।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर मंदसौर
वास्ते प्रभारी अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व सीतामऊ जिला मंदसौर म0प्र0 ....अपीलार्थी

विरूद्ध

1—बसन्तीबाई पिता फकीरा मेहतर
निवासी सीतामऊ जिला मंदसौर
2—संजय पिता ओमप्रकाश राजौरिया
निवासी सीतामऊ जिला मंदसौर
3—घनश्याम पिता मॉगीलाल राठौड
निवासी ग्राम लदुना तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर
4—श्रीमती भागवन्तीबाई पति राधेश्याम राठौड
निवासी ग्राम सैदरामाता तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर
5—सुधीर भार्गव पिता कृष्ण वल्लभ भार्गव
निवासी सीतामऊ जिला मंदसौर

..............प्रत्यर्थीगण

श्री बी.एन.त्यागी, पेनल अभिभाषक आवेदक शासन
श्री ए0के0अग्रवाल अभिभाषक अनावेदक क्र.1
श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्र.2, 3 व 4
अनावेदक कमांक 5 एकपक्षीय

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/6/15 को पारित)

यह अपील आवेदक शासन द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 71/अपील/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 1—2—2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सीतामउ में भूमि सर्वे नम्बर 776 चरनोई भूमि के रूप में वर्ष 1979–80 में स्थित थी जिसमें से प्रत्यर्थी कमांक 1 को वर्ष 1981–82 में कृषि कार्य करने हेतु 0.500 हैक्टर भूमि शासन के द्वारा पटटे पर प्रदान की गई जिसे बाद में राजस्व रिकार्ड में सर्वे नम्बर 776/3 के रूप में प्रत्यर्थी कमांक 1 के नाम पर अभिलिखित किया गया । उक्त भूमि प्रत्यर्थी कमांक 1 ने बिना कलेक्टर की अनुमति के दिनांक 10–5–1993 को संहिता की धारा 165(7)(ख) के उल्लघंन में प्रत्यर्थी कमांक 2 को विकय कर दी जिसके बावत् प्रकरण कमांक 75/बी–121/1993–94 में दिनांक 20–4–1995 को तहसील द्वारा कलेक्टर मंदसौर को यह प्रतिवेदित किया कि उक्त अन्तरण बिना कलेक्टर की अनुमति के होने से इसे अपास्त किया जावे । अनावेदक कमांक 5 द्वारा उक्त अवैध अन्तरण को अपास्त नहीं किये जाने से माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष एक रिट याचिका कमांक 5807/08 प्रस्तुत की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 20–11–2009 से अपीलार्थी को तत्काल तहसीलदार सीतामउ की जॉच रिपोर्ट दिनांक 20–4–1995 पर कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में अपीलार्थी के द्वारा प्रकरण कमांक 122/बी–121/2009–10 कायम कर इसमें प्रत्यर्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दिनांक 22–11–2010 को आदेश पारित कर प्रत्यर्थी कमांक 1 द्वारा प्रत्यर्थी कमांक 2 के पक्ष में किया गया विकय दिनांक 10–5–1993 को शुरू से ही अवैध व शून्य होना मान्य किया गया जिसके विरूद्ध प्रथम अपील होने पर अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–2–13 से अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में पारित किया गया आदेश अपास्त कर दिया गया जिससे असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील अपीलार्थी शासन द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया कि ग्राम सीतामउ की भूमि सर्वे नम्बर 776/3 रकबा 0.500 हेक्टर भूमि प्रत्यर्थी कमांक 1 को शासन द्वारा कृषि कार्य करने हेतु प्रदान की गई थी और इसका अन्तरण जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना हुआ है जो संहिता की धारा 165(7–ख) का उल्लघंन होने से अन्तरण शुरू से ही अवैध व शून्य है । यह मान्य विधि होने के उपरांत भी विवादित आदेश दिनांक 1–2–13 से कलेक्टर का आदेश दिनांक 22–11–10 जो विधि के

अनुकूल पारित किया गया है उसे अपर आयुक्त द्वारा अपास्त करने में गंभीर भूल की गई। अपर आयुक्त ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य व प्रचलित विधि का न्यायिक विवेचन किये बगैर विवादित आदेश पारित किया है । तर्क में यह भी बताया कि प्रत्यर्थी कमांक 1 द्वारा, प्रत्यर्थी कमांक 2 की माता के पक्ष के ग्राम सीतामउ की भूमि सर्वे नम्बर 776/3 को विकय की जाने हेतु प्रकरण कमांक 61/अ–21/1989–90 से कलेक्टर मंदसौर से विकय की अनुमति चाही गई थी जिसे आदेश दिनांक 5–2–1991 द्वारा निरस्त कर दिया गया । उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी कमांक 1 की पहचान प्रत्यर्थी कमांक 2 ने की थी । इस प्रकरण प्रत्यर्थी कमांक 1 व 2 को इस बात का पूर्णत ज्ञान था कि भूमि सर्वे नम्बर 776/3 पटटे की भूमि होने के कारण उक्त भूमि के विकय हेतु कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है उसके उपरांत भी अनुमति नहीं मिलने पर प्रत्यर्थी कमांक 2 जो स्वयं विधि व्यवसायी है, ने अवैध तरीके से प्रत्यर्थी कमांक 1 से उक्त भूमि का विकय पत्र अपने पक्ष में पंजीयन करवा लिया जो शुरू से ही अवैध व शून्य है । प्रत्यर्थी कमांक 2 ने कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रहते भूमि प्रत्यर्थी कमांक 3 व 4 को अवैध रूप से विकय कर दी इस तथ्य की जानकारी उसने प्रकरण में कलेक्टर न्यायालय मंदसौर को नहीं दी । उक्त तथ्य अभिलेख पर होने के उपरांत भी विधि विरूद्ध आदेश पारित करने में अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा भूल की गई है । तर्क में यह भी बताया कि विवादित भूमि प्रत्यर्थी कमांक 1 को शासन द्वारा मात्र कृषि कार्य करने हेतु प्रदाय की गई थी । यदि अधिनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश स्थिर रखा जाता है तो प्रत्यर्थीगण शासन की भूमि को निजी लाभ के लिये खुर्दबुर्द कर देंगे । विवादित आदेश से शासन की चरनोई भूमि अवैधानिक तरीके से प्रत्यर्थी कमांक 3 व 4 के हाथो में चली जायेगी । प्रत्यर्थी कमांक 2 द्वारा अवैध रूप से धारित भूमि का अन्तरण प्रत्यर्थी कमांक 3 व 4 को अवैध रूप से किये जाने से उक्त अन्तरण भी शासकीय पटटे की भूमि का होने से अवैध एव शून्य मान्य ठहराया जावे व भूमि को पूर्ववत् मध्यप्रदेश शासन के नाम पर चरनोई मद में अभिलिखित किये जाने के आदेश पारित करने का अनुरोध किया ।

4– प्रकरण में प्रत्यर्थी कमांक 1 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह बताया कि प्रत्यर्थी को धोखे में रखकर प्रत्यर्थी कमांक 2, 3 व 4 द्वारा भूमि का अन्तरण करवाया गया है ।

5– प्रकरण में प्रत्यर्थी कमांक 2, 3 व 4 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह बताया कि प्रत्यर्थी कमांक 1 से जो भूमि क्रय की गई थी वह भूमि विक्रय करने के पूर्व प्रत्यर्थी कमांक 1 द्वारा कृषि भिन्न आशय से व्यपवर्तित की गई थी इस कारण संहिता की धारा 165–7(ख) के प्रावधान लागू नहीं होते । प्रत्यर्थी कमांक 1 द्वारा प्रत्यर्थी कमांक 2, 3 व 4 के हित में किये गये विक्रय को वैधानिक एवं प्रत्यर्थी को वादग्रस्त भूमि का विधिवत् भूमिस्वामी होना माननीय व्यवहार न्यायाधीश सीतामउ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22–9–09 से मान्य किया गया है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने से यह अपील निरस्त करते हुये अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 1–2–13 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया ।

6– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। विद्वान अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 01–02–2013 में अन्तरण को वैध ठहराने का जो कारण दर्शाया है वह विधिक दृष्टि से उचित दिखलाई पड़ता है । प्रश्नाधीन अन्तरण को एक बार कलेक्टर द्वारा निरस्त करने के बाद अपर आयुक्त ने अपने प्रकरण कमांक 139/1998–99/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04–12–1999 द्वारा वैध मान्य किया जा चुका है । इस आदेश को अपील/निगरानी में निरस्त किया गया हो या चुनौती दी गई हो ऐसा कोई प्रमाण शासन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है । आयुक्त के उक्त आदेश का आशय यही है कि पूर्व में किया गया अन्तरण वैध था । ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती अन्तरणों पर भी प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता । एक ही संव्यवहार में एक बार ऊपरी न्यायालयों द्वारा पुष्टि के बाद बार–बार स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता ।

7– उपरोक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में इस अपील में अन्य बिन्दुओं पर विचार का कोई औचित्य नहीं है । फलतः यह अपील अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.